

प्रेस नोट दिनांक 31.03.2021

1. दिनांक 30.03.2021 को वादी उ०नि० श्री जगन्नाथ मणि त्रिपाठी थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज सोनकर पुत्र साधू सोनकर नि० वजीरगंज जब्ती थाना को०नगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे चोरी की 01 अदद जूसर मशीन व 01 अदद पल्सर मो०सा० नं० एमएच 04 सीआर 9112 जिसका नम्बर प्लेट खुरचा हुआ है व 1130 रुपये नगद बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 211/21 धारा 41/411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 30.03.2021 को वादी श्री राम सजीवन पुत्र स्व० दुखहरन नि० ठेऊंगा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गन्नालाल पुत्र गुदरू नि० तहसीनपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी सुपला उर्फ गीता देवी उम्री 48 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 152/21 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 30.03.2021 को वादी श्री फिरोज पुत्र स्व० झब्बर नि० टपराड़ा थाना झिनझाना जनपद शामली द्वारा सूचना दिया गया कि सलीम नि० चिरा जगनपुर थाना रौनाही अयोध्या आदि 06 नफर भैस लादने की बात को लेकर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 142/21 धारा 147, 148, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 30.03.2021 को वादी श्री दीपक मौर्या पुत्र किशन नि० रानोपाली थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि केदार नाथ गुप्ता पुत्र लालमणि नि० रानोपाली थाना को०अयोध्या अयोध्या आदि 04 नफर आपसी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 161/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 30.03.2021 को वादी श्री राम हेतु साहू पुत्र मिश्रीलाल नि० भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 बीटी 6920 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र विशाल को टक्कर मार देना जिसकी मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 163/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।